



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224404
CG-DL-E-14012021-224404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि—पत्र

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 147 (अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 09.12.2019 की राजपत्र अधिसूचना का. आ. 4401(अ) द्वारा मै. रेशमसिंह एण्ड कंपनी (प्रा.) लि., मुम्बई को दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच में दो टीजी स्टेटर का मै. भेल, हरिद्वार से यददरी तक कांडला/मुंद्रा पोर्ट के द्वारा तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान की गई थी। उक्त अधिसूचना में यातायात की अवधि “दिसंबर 2019 से नवंबर 2020” शब्दों के स्थान पर “दिसंबर 2019 से जुलाई 2021” शब्द पढ़े जाए।

[सं.आर.टी-11042/15/2019-एम.वी.एल.]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM**

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 147 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 4401(E) dated 09.12.2019 had accorded approval to M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd, Mumbai for transportation of 2 TG STATOR from M/s. BHEL, Haridwar to Yadadri via Kandla/Mundra Port during the period from December, 2019 to November, 2020 by road with maximum safe laden weight/Gross vehicles Weight and dimensions. In the above notification, the period for transportation may be read as “December, 2019 to July, 2021” in place of “December, 2019 to November, 2020”.

[No. RT-11042/15/2019-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

208 GI/2021